न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-366RAAJodhpur2024-156RTA223 Madanlal ors Vs Sampatraj etc

01. मदनलाल पुत्र तुलछीराम
02. गैर पत्नी तुलछीराम **(फौत)**
03. भंवरी पत्नी रामनिवास
04. मनोहर पुत्र रामनिवास
05. रवि पुत्र रामनिवास

    जातियान् सुथार, निवासीगण– बारनी कल्लां, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
06. संतोष पुत्री तुलछीराम पत्नी बाबूलाल, जाति सुथार, निवासी– बारनी कल्लां, हाल निवासी– हिंगोली, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. सम्पतराज पुत्र नथाराम
02. सायरी पत्नी नथाराम

    जातियान् सुथार, निवासीगण–' बारनी कल्ला, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
03. ओमप्रकाष पुत्र तुलछीराम
04. जितेन्द्र पुत्र रामनिवास

    जातियान् सुथार, निवासीगण– बारनी कल्लां, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
05. बैंक प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रजलानी।
06. बैंक प्रबंधक यूको बैंक, शाखा आसोप।
07. तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 फरवरी 2024 सहायक
कलक्टर भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 135/2022
सम्पतराज व अन्य बनाम ओमप्रकाष इत्यादि

उपस्थित–

श्री जगदीष प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री श्रीधर पुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 135/2022 अनवान सम्पतराज व अन्य बनाम ओमप्रकाष इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम आसोप तहसील भोपालगढ के खेत खसरा नम्बर 3934 रकबा 1.9911 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3936 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3937 रकबा 1.7939 हैक्टेयर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं वादीगण से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विचारण न्यायलय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट्स का कितना हिस्सा बनता है तथा न ही रेस्पोडेंट्स द्वारा अपना हिस्सा बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या दो गैरी देवी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट मदनलाल मजदूरी करने के लिए गुजरात राज्य के अहमदाबाद चला गया था। इसलिए वह अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाया।

अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में वापिस आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मामले में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। तब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 04.09.2024 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 06. 09.2024 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 फरवरी 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर साक्ष्य सबूत लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित हकिय जाने का आदेष फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो तीन के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाते हुए उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट्स के हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपने हक–हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र उठाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है, जिससे स्वाभाविक है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की शुरूआत से ही जानकारी रही है।

ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का

प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजीयात का माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स मौके पर विभाजन किया जाकर खाता एवं लगान अलग–अलग किये जाने के निर्देष दिये गये है। तथा तहसीलदार भोपालगढ को निर्देष दिये गये है कि वह राजस्थान काष्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से उनके हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। मामले में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ंलिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 135/2022 अनवान सम्पतराज व अन्य बनाम ओमप्रकाष इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 फरवरी 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर